

# जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नहेरू मार्ग, जयपुर

क्रमांक :- F-(<sup>269</sup>)JDA/OSD(RM)/15-16/D-1077

दिनांक:- 10.7.15

## कार्यालय आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में स्थित रिंग रोड़ परियोजनाओं से लगते हुए क्षेत्र के लिए आवासीय आरक्षित दर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र. सं.	जोन सं.	रिंग रोड़ क्षेत्र	चैनेज क्षेत्र	ग्राम	आवासीय आरक्षित दर (रूपए प्रति वर्ग मीटर)
1.	10 एवं 10ए	आगरा रोड़ से प्रारम्भ होकर 2 किमी दक्षिण की ओर (दोनों ओर विकसित कॉरिडार)	0.0 से 2.0 किमी	बगराना, लखेसरा, खोरी रोपाड़ा	12000.00
2.	11	अजमेर रोड़ के दक्षिण की ओर प्रारम्भ होकर 2 किमी (दोनों ओर विकसित कॉरिडार)	44.9 से 46.9 किमी	हसमपुरा, भांकोटा, चिमनपुरा	12000.00
3.	11	फागी रोड़ से पश्चिम दिशा कि ओर प्रारम्भ होकर 2 किमी (दोनों ओर विकसित कॉरिडार)	33.00 से 34.00 किमी	अचरावाला	10000.00
4.	14	टॉक रोड़ से पश्चिम दिशा कि ओर प्रारम्भ होकर 2 किमी (दोनों ओर विकसित कॉरिडार)	19.8 से 21.8 किमी	अजयराजपुरा, हेमा की नांगल, मानपुरा नांगल्या, बीलवा, रानीपुरा	12000.00
5.	14	फागी रोड़ से पूर्व दिशा की ओर प्रारम्भ होकर 2 किमी (दोनों ओर विकसित कॉरिडार)	32.0 से 33.0 किमी	श्री रामपुरा, रातल्या	10000.00
6.	14ए	टॉक रोड़ से पूर्व दिशा कि ओर प्रारम्भ होकर 2 किमी (दोनों ओर विकसित कॉरिडार)	17.8 से 19.8 किमी	प्रहलादपुरा अन्दर की सीमा, शिवदासपुरा बाहर की सीमा	12000.00

1. उक्त दरें आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण से पुष्ट हैं, जो तुरन्त प्रभाव से लागू की जाती है।
2. वाणिज्यिक आरक्षित दर आवासीय आरक्षित दर की 200% एवं संस्थानिक आरक्षित दर आवासीय दर की 125% होगी।
3. यदि किसी भूखण्ड के लिये एक से अधिक आरक्षित दर लागू हो रही है तो अधिकतम आरक्षित दर को मानते हुये गणना की जावेगी।
4. यदि किसी भूखण्ड के लिये आरक्षित दर निर्धारण में विवेचना की स्थिति हो तो आयुक्त जयपुरा द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (वित्त/विधि/अभियांत्रिकी-प्रथम व द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर।
6. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेण्ट/संसाधन एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी (संसाधन एवं विकास), जविप्रा, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
9. जोन उपायुक्त 10, 10ए, 11, 14 व 14ए, जविप्रा, जयपुर।
10. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
11. विशेषाधिकारी (जनसंपर्क, जविप्रा, जयपुर।
12. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली

निदेशक (वित्त)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर